

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

वैकल्पिक वृक्षारोपण की देय राशि के भुगतान हेतु वचनपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कालीसिंध फेस II सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) के निर्माण हेतु परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल वनक्षेत्र 147.090 हेक्टेयर है। जिसमें से वनमंडल खण्डवा का वनक्षेत्र 46.989 हेक्टेयर एवं वनमंडल देवास का वनक्षेत्र 100.101 हेक्टेयर है। अपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि में किये जाने वाले वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनुसार (11 वर्षीय योजना) नर्मदा विकास प्राधिकरण उक्त राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है।

यदि कोई अतिरिक्त राशि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भी अधिरोपित की जाती है तो उक्त राशि नर्मदा विकास प्राधिकरण जमा करने हेतु वचनबद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन